



विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक सांविधिक निकाय)

सर्व अनुसंधान वैज्ञानिक योजना

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की इंस्पायर फैकल्टी योजना और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की रामानुजन फेलोशिप योजना (एसईआरबी) युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान और इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में नए करियर शुरू करने और बनाए रखने के अवसर प्रदान करता है। ये योजनाएं पांच साल पूरे होने के बाद फेलोशिप के विस्तार की पेशकश नहीं करती हैं। संबंधित फेलोशिप के कार्यकाल की समाप्ति के बाद समर्थन लिंक टूट गया है।

कुछ और समय के लिए अपने अनुसंधान को बनाए रखने के लिए एक प्लैटफॉर्म प्रदान करने के लिए, एसईआरबी बोर्ड ने हाल ही में इंस्पायर फैकल्टी और रामानुजन फेलोशिप के पुरस्कार विजेताओं के लिए एक नई 'एसईआरबी रिसर्च साइंटिस्ट (एसआरएस) योजना' को मंजूरी दी है, जो संबंधित योजनाओं में पांच साल का नियमित कार्यकाल पूरा होने के बाद नियमित पदों को सुरक्षित करने में विफल रहते हैं। अध्येताओं को 'एसईआरबी रिसर्च साइंटिस्ट' कहा जाता है। यह योजना उन्हें अपनी अनुसंधान गतिविधियों को जारी रखने और मध्यवर्ती अवधि के दौरान नियमित पदों के लिए भी अनुरोध करने का अवसर प्रदान करती है।

योग्य शोधकर्ताओं से एसआरएस के लिए आवेदन मांगा गया है।

उद्देश्य :

इंस्पायर फैकल्टी और रामानुजन फेलो के खोजी करियर को बनाए रखने के लिए एक मंच की पहचान करना और प्रदान करना, विशेष योजनाओं में पांच साल का नियमित कार्यकाल पूरा होने के

बाद दो साल की अतिरिक्त अवधि के लिए।

योग्यता :

- ❖ यह योजना केवल इंस्पायर फैकल्टी और रामानुजन फेलो के लिए है।
- ❖ आवेदक को डीएसटी के इंस्पायर फैकल्टी या एसईआरबी के रामानुजन फेलोशिप का कार्यकाल पूरा या उसके पूरा होने के करीब होना चाहिए। योजनाओं के नियमित कार्यकाल के पूरा होने से पहले या बाद में छह महीने के भीतर आवेदन जमा करना होगा। हालांकि, इस नई योजना के उद्घाटन के समय पिछले बैचों को अब आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है।
- ❖ रामानुजन फेलो के लिए ऊपरी आयु सीमा आवेदन जमा करने के समय 40 वर्ष है।
- ❖ एसआरएस का लाभ उम्मीदवार अपने करियर में केवल एक बार उठा सकता है।
सहायता की प्रकृति और अवधि:
- ❖ एसआरएस योजना संबंधित इंस्पायर फैकल्टी/रामानुजन फेलोशिप का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही प्रभावी होगी।
- ❖ एसआरएस केवल भारत में मान्य है और इसे किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अन्य मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में लागू किया जा सकता है। पोषिता संस्थान को आवश्यक प्रशासनिक और टांचागत सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- ❖ फैकल्टी/फेलो या तो वर्तमान पोषिता संस्थान से एसआरएस योजना को लागू कर सकते हैं या एक अलग पोषिता संस्थान का चयन करने का विकल्प चुन सकते हैं जो प्रस्तावित शोध कार्य के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त हो।
- ❖ एसआरएस को उसी विभाग/संस्थान में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां उम्मीदवारों ने पीएचडी/एम.एस/एम.डी की डिग्री हासिल की है।
- ❖ एसआरएस विशुद्ध रूप से एक अस्थायी और संविदात्मक असाइनमेंट है, जो केवल 2 वर्षों की अवधि के लिए देय है, जिसे किसी भी परिस्थिति में दो साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।
- ❖ एसआरएस नीचे दिए गए अनुसार अनुदान प्राप्त करने के हकदार होंगे:

क्रम संख्या	बजट शीर्ष	राशि
1	परिश्रमिक	*समेकित राशि रू. 70,000/- प्रति माह पहले में और रू. दूसरे वर्ष में 75,000/- प्रति माह।
2	अनुसंधान अनुदान	रू. 2,00,000/- प्रति वर्ष
3	ओवरहेड	रू. 1,00,000/- प्रति वर्ष

* सभी सहित

- ❖ अनुसंधान अनुदान का उपयोग छोटे उपकरण, उपभोग्य सामग्रियों, आकस्मिकताओं और यात्रा के लिए किया जा सकता है। इस योजना के तहत जनशक्ति सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। अनुसंधान वैज्ञानिक से अपेक्षा की जाती है कि वह एसआरएस योजना की संपूर्ण अवधि के दौरान स्वयं/स्वयं अनुसंधान उद्देश्यों को पूरा करेगा।
- ❖ एसआरएस योजना के कार्यकाल के दौरान किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी स्रोत से कोई अन्य शोध परियोजना/फेलोशिप प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं।
- ❖ एसआरएस को एसईआरबी की सहमति लेनी होगी यदि वह आठ सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए लगातार कार्यान्वयन संस्थान (परियोजना से संबंधित क्षेत्र कार्य को छोड़कर) से दूर रहना चाहता है।

आवेदन की माध्यम और चयन :

- ❖ एसआरएस के लिए आवेदन इंस्पायर फैकल्टी/रामानुजन फेलो के लिए साल भर खुले रहेंगे। एसआरएस का विवरण वेबसाइट www.serb.gov.in , www.serbonline.in and www.dst.gov.in के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।
- ❖ एसआरएस में परिवर्तन इंस्पायर फैकल्टी/रामानुजन फेलोशिप के कार्यकाल के दौरान प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।
- ❖ इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति द्वारा आवेदन का मूल्यांकन किया जाएगा। समिति इंस्पायर फैकल्टी/रामानुजन फेलोशिप योजना के कार्यकाल के दौरान संबंधित विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रदर्शन मूल्यांकन पर विचार कर सकती है। यदि आवश्यक हो, आवेदकों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है।
- ❖ आवेदन पत्र इस दस्तावेज़ (अनुबंध I) में निर्धारित प्रारूपों के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- ❖ यदि कोई एसआरएस किसी भी कारण से असाइनमेंट समाप्त करना चाहता है, तो वह तुरंत मेजबान संस्थान के माध्यम से एसईआरबी को सूचित करेगा। मेजबान संस्थान को परियोजना की समाप्ति की तारीख या एसआरएस के इस्तीफे की तारीख से कोई खर्च नहीं करना चाहिए। संस्थान ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों को जमा करने की व्यवस्था भी करेगा।
- ❖ एसईआरबी किसी भी स्तर पर एसआरएस पुरस्कार को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि यह आश्चर्य हो जाता है कि कार्यक्रम की समीक्षा पर उचित प्रगति नहीं हो रही है या अनुदान का ठीक से उपयोग नहीं किया गया है।
- ❖ यदि एसआरएस को योजना के कार्यकाल के दौरान उसी या देश के किसी अन्य संस्थान में स्थायी पद मिल जाता है, तो एसआरएस परिलब्धियां उस दिन से बंद कर दी जाएंगी जिस दिन एसआरएस स्थायी स्थिति में शामिल होता है, लेकिन वह योजना के साथ जारी रहेगा। परिकल्पना के अनुसार अनुसंधान करने के लिए शेष अवधि के लिए प्रस्ताव के अनुसंधान अनुदान भाग का लाभ उठाना।
- ❖ एसआरएस अन्य सभी पहलुओं में एनपीडीएफ योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा शासित होंगे।

अवकाश :

एसआरएस मेजबान संस्थान के नियमों के अनुसार छोड़ने के हकदार हैं। भारत या विदेश में आयोजित वैज्ञानिक कार्यशालाओं में भागीदारी को ड्यूटी पर माना जाएगा। समय-समय पर जारी भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार मातृत्व अवकाश सभी श्रेणियों में महिला उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगा।

आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए:

- ❖ आवेदक का बायोडाटा
- ❖ आयु प्रमाण प्रमाण पत्र
- ❖ योग्यता प्रमाणपत्र
- ❖ पुरस्कार पत्र (इंस्पायर फैकल्टी / रामानुजन फेलो)
- ❖ आवेदक द्वारा शपथ प्रमाणपत्र (अनुलग्नक II)

❖ पोषिता संस्थान से अनुमोदन प्रमाण पत्र (अनुलग्नक III)

उम्मीदवारों को ए4 आकार के कागज के दोनों किनारों पर छपे आवेदन की 3 प्रतियां जमा करनी चाहिए और इस पते पर भेजनी चाहिए:

सदस्य सचिव एसआरएस

विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड

5 और 5ए, निचला भूतल

वसंत स्क्वायर मॉल सेक्टर-बी, पॉकेट-5 वसंत कुंज

नई दिल्ली -110070

सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव की एक सॉफ्टकॉपी prasanna@serb.gov.in पर भी मेल की जानी चाहिए।

आवेदन वाले लिफाफे / मेल के ऊपर "एसईआरबी रिसर्च साइंटिस्ट (क्षेत्र निर्दिष्ट करें*)" लिखा होना चाहिए।

[* रासायनिक विज्ञान, पृथ्वी और वायुमंडलीय विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, जीवन विज्ञान, गणितीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान]

आवेदन प्रारूप

1. व्यापक क्षेत्र जिसके तहत आवेदन जमा किया जा रहा है:
(रासायनिक/भौतिक/गणितीय/इंजीनियरिंग/पृथ्वी और वायुमंडलीय/जीवन विज्ञान में से किसी एक को चुनें)

2. आवेदक का नाम:

3. पिता/पति/पत्नी का नाम:

4. ईमेल पता और मोबाइल नंबर:

5. जन्म तिथि: (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में)

6. पीएच.डी विवरण:

(ए) प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम:

(बी) अनुसंधान पर्यवेक्षक / गाइड का नाम:

(सी) पीएचडी थीसिस शीर्षक:

(डी) पीएचडी कार्य का संक्षिप्त विवरण (एक पृष्ठ से अधिक नहीं)

7. पोस्ट-डॉक्टरल विवरण:

विश्वविद्यालय/ संस्थान का नाम	पोस्ट-डॉक्टरेट मेंटर का नाम	अवधि

8. वर्तमान फैलोशिप का विवरण:

(क) इंस्पायर फैकल्टी / रामानुजन फेलोशिप

(ख) इंस्पायर फैकल्टी / रामानुजन फेलोशिप संदर्भ संख्या:

(ग) वर्तमान मेजबान संस्थान / संगठन का नाम:

(घ) इंस्पायर फैकल्टी / रामानुजन फेलोशिप में शामिल होने की तिथि: (दिन/माह/वर्ष

प्रारूप में)

(ङ) इंस्पायर फैकल्टी / रामानुजन फेलोशिप के पूरा होने की तिथि: (दिन/माह/वर्ष

प्रारूप में)

9. इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण /रामानुजन फेलोशिप (तीन पृष्ठों से अधिक नहीं)
10. इंस्पायर फैकल्टी/रामानुजन फेलोशिप से प्रकाशनों की सूची
11. इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड / रामानुजन फेलोशिप से महत्वपूर्ण परिणाम (एक पृष्ठ से अधिक नहीं)
12. संबंधित निगरानी समितियों द्वारा की गई समीक्षा की स्थिति:
13. प्रस्तावित मेजबान संस्थान का विवरण:
- (क) मेजबान संस्थान का नाम और पता:
- (ख) विभाग:
- (ग) प्रस्तावित मेजबान संस्थान के प्रमुख का नाम और उनका पद:
- (घ) मेजबान संस्थान के प्रमुख का ईमेल पता: _____
14. प्रस्तावित अनुसंधान योजना:
- (क) परियोजना का शीर्षक:
- (ख) किए जाने वाले प्रस्तावित शोध कार्य का विवरण:
- (i) प्रस्ताव की उत्पत्ति और प्रस्तावित क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की संक्षिप्त समीक्षा (एक पृष्ठ)
- (ii) प्रस्तावित परियोजना के उद्देश्य: (5 से अधिक बुलेट पॉइंट नहीं)
- (iii) विस्तृत कार्यप्रणाली और कार्य योजना (3 पृष्ठों से अधिक नहीं)
15. प्रमाणित किया जाता है कि
- (क) मैं एसईआरबी अनुसंधान वैज्ञानिक योजना के कार्यकाल के दौरान किसी भी सरकारी/गैर/सरकारी एजेंसी से कोई अन्य फेलोशिप प्राप्त नहीं करूंगा।
- (ख) प्रस्तावित शोध कार्य किसी भी तरह से पहले से किए गए या विषय पर कहीं और किए जा रहे कार्य की नकल नहीं करता है।
- (ग) वही परियोजना कार्य वित्तीय सहायता के लिए अन्यत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (घ) मैं समय-समय पर निर्धारित एसईआरबी अनुसंधान वैज्ञानिक योजनाओं के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं।

स्थान और तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक द्वारा शपथ प्रमाण-पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीनिवासी निम्नलिखित कार्य करने के लिए सहमत हूँ, यदि मुझे एसईआरबी अनुसंधान वैज्ञानिक योजना के तहत अनुसंधान सहायता की पेशकश की जाती है-

1. मैं योजना के पूरे कार्यकाल के दौरान एसईआरबी के नियमों और विनियमों का पालन करूंगा।
2. मैं उस संस्था के नियमों, अनुशासन का भी पालन करूंगा जहाँ मैं योजना का कार्यान्वयन करूंगा
3. मैं योजना के कार्यकाल के दौरान शोध कार्य के लिए पूरा समय समर्पित करूंगा
4. मैं प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रगति रिपोर्ट तैयार करूंगा और संस्थान के अधिकारियों के माध्यम से एसईआरबी को इसकी सूचना दूंगा
5. मैं योजना अवधि के अंत में समेकित प्रगति रिपोर्ट की दो प्रतियां भेजूंगा।
6. मैं आगे कहता हूँ कि एसईआरबी अनुसंधान वैज्ञानिक योजना के तहत समर्थन की समाप्ति पर नियमित/स्थायी आमेलन के लिए मेरा कोई दावा नहीं होगा।
7. मैं यह वचन दूंगा कि परियोजना में खरीदे गए उपकरणों पर अतिरिक्त समय अन्य उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा।
8. यदि परियोजना में आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों का उपयोग शामिल है, तो मैं संस्थान की जैव सुरक्षा समिति से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूँ। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि प्रयोगों का संचालन करते समय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारत सरकार के जैव-सुरक्षा दिशानिर्देश। भारत का, पूरी तरह से पालन किया जाएगा।
9. यदि परियोजना में फील्ड ट्रेल्स/प्रयोग/नमूनों का आदान-प्रदान, मानव और पशु सामग्री आदि शामिल हैं, तो मैं संबंधित नैतिक समिति से नैतिक मंजूरी प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूँ।

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर:

दिनांक और स्थान

अनुलग्नकIII

मेजबान संस्थान से अनुमोदन प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि

- I. संस्थान एसईआरबी अनुसंधान वैज्ञानिक योजना में आवेदक डॉ..... की भागीदारी का स्वागत करता है।
- II. आवेदक, यदि एसआरएस योजना के रूप में चुना जाता है, तो विश्वविद्यालय / संस्थान के नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा और एसोसिएटशिप की अवधि के लिए

- विश्वविद्यालय / संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।
- III. विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) द्वारा सहायता अनुदान का उपयोग स्वीकृति पत्र / आदेश में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार परियोजना के लिए व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
 - IV. योजना के अंत में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) से कोई प्रशासनिक या अन्य दायित्व संलग्न नहीं किया जाएगा।
 - V. विश्वविद्यालय/संस्थान अनुसंधान करने के लिए बुनियादी ढांचा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
 - VI. विश्वविद्यालय/संस्थान इस मंजूरी के तहत प्राप्त सभी परिसंपत्तियों को अपने बहीखातों में लेगा और इसका निपटान विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) के विवेक पर होगा।
 - VII. विश्वविद्यालय/संस्थान योजना की वित्तीय और अन्य प्रबंधन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए ग्रहण करते हैं।
 - VIII. विश्वविद्यालय/संस्थान समापन की तारीख से तीन महीने के भीतर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार एसईआरबी को वित्तीय खातों का निपटान करेगा।

दिनांक:

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार

/संस्थान के प्रमुख मुहर के हस्ताक्षर